मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1991

सा.का.नि. 41 :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ (समूह "ग" पद) भर्ती नियमावली, 1980 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(i) इन नियमों को राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला (समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1991 कहा जाए।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ (समूह "ग" पद) भर्ती नियमावली, 1980 में लेखाकार के पद से सम्बद्ध क्रम संख्या के सामने:—

(i) कालम 3 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"2*(1991)*कार्यभार के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

(ii) कालम 5 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

1400-40-1800-द.रो.-50-2300 रु.;

(iii) कालम 9 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा:—अर्थात् "नहीं"।

(iv) कालम 13 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति"

1. निदेशक, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ —अध्यक्ष
2. परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ —सदस्य
3. सहायक शिक्षा सलाहकार/अवर सचिव/अनु- भाग अधिकारी संस्कृतिक विभाग —सदस्य
4. तकनीकी विशेषज्ञ (विभाग के बाहर से) —सदस्य

[सं. फा. 11-42/89-सी.एच.-I]

आर.आर. पाण्डेय, अवर सचिव

नोट:— मुख्य भर्ती नियमावली : जी.एस.आर. सं. 335 दिनांक 22-3-1980 में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Culture)

New Delhi, the 3rd January, 1991

G.S.R. 41.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow (Group 'C' Posts), Recruitment Rules, 1980, namely:—

1. (i) These rules may be called the National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow (Group 'C' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1991.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow (Group 'C' Posts), Recruitment Rules, 1980 against serial number relating to the post of Accountant:—

(i) in column 3, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"2 *(1991)

*subjtct to variation depending on work load.";

(ii) for the entry in column 5, the fololwing entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300";

(iii) for the entry in column 9, the following entry shall be substituted, namely :—

"No";

(iv) for the entry in column 13, the following entry shall be substituted, namely :—

"Group 'C' Departmental Promotion Committee

1. Director, National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow ..Chairman
2. Project Officer, National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow ..Member
3. Assistant Educational Adviser|Under Secretary| Section Officer, Department of Culture
4. Technical Expert (from outside Department) ...Member.

[No. F. 11-42/89-CH. I]

R. R. PANDEY, Under Secy.

Note.—Principal Recruitment Rules were published in the G.S.R. No. 335, dated 22nd March, 1980.

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1991

सा.का.नि. 42 :—इं गां रा मु वि अधिनियम, 1985 (1985 का 50) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रबन्ध बोर्ड अपनी बैठकों के संचालन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है:—

प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों के लिए विनियम :—

(इ.गां.रा.मु.वि. अधिनियम की धारा 27)

1. प्रबन्ध बोर्ड के लिए बैठक की तारीख साधारणतया कुलपति द्वारा नियत की जाएगी, जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

2. प्रबन्ध बोर्ड की बैठक की सूचना प्रबन्ध बोर्ड द्वारा मनोनीत कुलसचिव द्वारा जारी की जाएगी।

3. साधारणतया प्रबन्ध बोर्ड की बैठक के लिए 21 दिन का लिखित में नोटिस दिया जाएगा, परन्तु कुलपति विशेष कारणों से, जिन्हें वे लिखित रूप में स्पष्ट करेंगे, कम अवधि की सूचना पर प्रबन्ध बोर्ड की आपात बैठक बुला सकते है।

4. प्रबन्ध बोर्ड द्वारा मनोनीत कुलसचिव बैठक से कम से कम 7 दिन पहले बैठक में विचारार्थ कार्यसूची की मदों पर नोट/नोटों को परिचालित करेंगे। परन्तु यह अध्यक्ष का अधिकार होगा कि वे अपने विवेक से ऐसी मदों को जो आवश्यक तथा महत्वपूर्ण हों, बैठक में विचार करने के लिए प्रस्तुत करें।

5. यदि प्रबन्ध बोर्ड के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों से लिखित में बैठक बुलाने का अनुरोध प्राप्त होता है तो कुलपति के परामर्श से नियत किसी दिन प्रबन्ध बोर्ड की विशेष बैठक प्रबन्ध बोर्ड द्वारा मनोनीत कुलसचिव द्वारा बुलाई जा सकती है। ऐसी विशेष बैठक बुलाने की मांग करने वाले सदस्यों को कार्य सूची की उन मद/मदों का उल्लेख करना होगा जिनका वे बैठक में विचार-विमर्श के लिए प्रस्ताव करना चाहते हैं और केवल उन्हीं मदों पर विशेष बैठक में विचार किया जाएगा, और यह भी कि विशेष बैठक तब तक आयोजित नहीं की जाएगी जब तक वे सभी सदस्य जिन्होंने बैठक बुलाने की मांग की है, उपस्थित नहीं हो जाते। यह भी उपबन्ध है कि यदि इस प्रकार की बैठक में गणपूर्ति (quorum) नहीं होती है तो बैठक बुलाने की मांग को रद्द समझा जाएगा।

6. जब प्रबन्ध बोर्ड की बैठक विधिवत् बुला ली गई हो और बैठक के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति न हो तो बैठक अगले सप्ताह उसी दिन और उसी समय के लिए स्थगित की जाएगी या बोर्ड के सक्षम निर्णय के अनुसार किसी अन्य दिन और किसी और समय तथा स्थान पर, स्थगित बैठक में भी नियत समय के आधे घंटे के भीतर अगर गणपूर्ति न हो तो उपस्थित सदस्य गणपूर्ति करेंगे।

7. जब किसी मामले पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाना हो तो यह अध्यक्ष (कुलपति) चाहे तो बोर्ड के सदस्यों की स्वीकृति परिचालन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। उस दशा में प्रस्ताव का प्रारूप व्याख्यात्मक टिप्पणियों और उससे संबंधित प्रलेखों और दस्तावेजों की प्रतियों के साथ परिचालित किया जाएगा और यदि प्रबन्ध बोर्ड के बहुमत सदस्य इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो प्रस्ताव के प्रारूप को स्वीकृत समझा जाएगा।

8. प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में कार्य-संचालन अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होगा।

9. साधारणतया सभी निर्णय सर्वसम्मति से होंगे। असाधारण परिस्थितियों में अध्यक्ष मतदान के लिए प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकते हैं और अनिर्णय की अवस्था में अध्यक्ष को निर्णायक मत का भी अधिकार होगा।

10. बैठक की तारीख से साधारणतया एक सप्ताह के अन्दर बैठक का कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड द्वारा मनोनीत कुलसचिव द्वारा तैयार किया जाएगा। वे उसे अध्यक्ष को उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कार्यवृत्त को सदस्यों में उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया जाएगा। यदि सदस्यों से किसी प्रकार की टिप्पणियां प्राप्त होती है तो अगली बैठक में कार्यवृत्त की संपुष्टि होने से पूर्व उन पर विचार किया जाएगा।

11. बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किए गए कार्यवृत्त के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

12. इन विनियमों का निर्वचन करने, इनमें संशोधन या निरसन या परिवर्तन करने का अधिकार प्रबन्ध बोर्ड को होगा।

[सं. जी.रेग्यु.-2/90]

के. नारायणन, कुलसचिव

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

New Delhi, the 2nd January, 1991

G.S.R. 42.—In exercise of the powers conferred by Section 27 of the IGNOU Act, 1985 (50 of 1985), the Board of Management makes the following Regulations for the conduct of its meetings :

Regulations for the meetings of the Board of Management. (Section 27 of the IGNOU Act)

1. The date for a meeting of the Board of Management shall ordinarily be fixed by the Vice Chancellor, who is the Chairman of the Board.

2. The notice for a meeting of the Board of Management shall be issued by the Registrar, designated by the Board of Management.

3. Ordinarily, a notice in writing of 21 days shall be given for a meeting of the Board of Management. Provided that an emergent meeting of the Board of Management may be convened by giving a shorter notice for reasons to be recorded in writing by the Vice-Chancellor.

4. The Registrar, designated by the Board of Management, shall circulate, at least 7 days before the meeting, the notes on the items of the agenda to be considered at a meeting. Provided that it shall be open to the Chairman, at his discretion, to bring up such items which are urgent and important in nature for consideration at the meeting itself.

5. A special meeting of the Board of Management may be convened by the Registrar, designated by the Board of Management, if a request to this effect is received in writing from not less than 1/3rd of the total number of members of the Board of Management, on a day to be fixed in consultation with the Vice-Chancellor. Members requisitioning such a special meeting should indicate the agenda item(s) which they propose to discuss at the meeting, and the special meeting will consider only those items. Provided that a special meeting shall not be held unless all the members who requisitioned such a meeting are present. Provided further that the requisition shall be deemed to have been cancelled if there is no quorum at such a meeting.

IndiaCode

6. Where a meeting of the Board of Management has been duly convened and no quorum is present within half an hour of the ~~dated appointed~~ for the ~~meeting~~. The meeting will be adjourned to the same day and time in the next week or to such other day and at such other time and place, as the members of the Board may decide. If no quorum is present at an adjourned meeting within half an hour of the appointed time, the members present shall constitute the quorum.

7. Where a matter is to be considered by the Board of Management, it shall be open to the Chairman (Vice-Chancellor) to obtain the approval of the members of the Board of circulation. In that event, the draft resolution shall be circulated together with explanatory notes and copies of the papers and documents connected therewith and the draft resolution shall be deemed to have been approved, if it is signed by a majority of the members of the Board of Management.

8. The conduct of business at a meeting of the Board of Management shall be regulated by the Chairman.

9. Ordinarily all decisions shall be by consensus. However, if circumstances so warrant, the Chairman may put a resolution to vote and the decision shall be carried by a majority. In case of a tie, the Chairman shall have a casting vote as well.

10. The minutes of the meeting shall be prepared by the Registrar, designated by the Board of Management, ordinarily within a week's time after the date of meeting, who shall submit the same to the Chairman for his approval. The minutes approved by the Chairman shall be circulated to the members for their comments. Comments, if any, received from the members shall be considered at the following meeting before the minutes are confirmed.

11. The decisions taken at a meeting of the Board may be implemented by the University on the basis of the minutes approved by the Chairman.

12. The power to interpret amend, repeal or add to theses Regulations shall vest with the Board of Management.

[No. G/Regu 2/90]

K. NARAYANAN, Registrar

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1990

सा.का.नि. 43 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मनोविकार संस्थान, रांची में रेडियोग्राफर समूह "ग" पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मनोविकार चिकित्सा संस्थान, रांची समूह "ग" (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की नाम, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।